

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारसीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2026/5026

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 27/03/2026

अप्रार्थीगण

1 करनाराम पुत्र  
ठकाराराम 2 गणेश पुत्र  
करनाराम 4 लीलादेवी  
पत्नि करनाराम समस्त  
जातियान सुधार निवासी  
सुधारों की ढाणी, राजीव  
नगर खडीन तहसील  
रामसर हाल रामनगर  
बाडेर तहसील व जिला  
बाडमेर।

1 केसाराम पुत्र आसूराम 2 खेताराम पुत्र भोमाराम 3 गजरीं पत्नी  
आसूराम 4 दली पत्नी भोमाराम 5 नवलाराम पुत्र आसूराम 6 नारणाराम  
पुत्र उत्तमाराम 7 प्रकाश पुत्र भोमाराम 8 बाबूलाल पुत्र भंवराराम 9 भैराराम  
पुत्र भौमाराम 10 रुखबा राम पुत्र भंवराराम 11 श्रवण कुमार पुत्र आसु  
राम 12 अणसीदेवी पत्नी विरधाराम 13 केवलाराम 14 चौखा राम पिसरान  
विरधाराम 15 इन्दिरा पत्नि श्री नरसीगाराम 16 खेताराम पुत्र मालाराम 17  
गंगाराम पुत्र खुमा राम 18 चम्पा पत्नी खेराज राम 19 धापू पत्नि नरसिंगा  
राम 20 प्रेम कुमार पुत्र कानाराम 21 पिरागाराम पुत्र पूराराम 22  
पोकराराम पुत्र मालाराम 23 बाबूलाल पुत्र खेराजराम 24 भगाराम पुत्र  
पूराराम 25 भैराराम पुत्र खेराजराम 26 भैराराम पुत्र कानाराम 27 मूलाराम  
पुत्र खुमाराम 28 माडू पुत्री नरसीगाराम 29 रावताराम पुत्र खेराजराम 30  
लेहरीं देवी पत्नी पूराराम 31 शांति देवी पत्नी कानाराम 32 शान्ती पुत्री  
नरसीगाराम 33 सताराम पुत्र खेराजराम 34 सताराम पुत्र कानाराम 35  
सती पुत्री नरसीगाराम 36 सुन्दरकंवर पत्नी भारूराम 37 हीरों पुत्री  
नरसीगाराम जाति सुधार 38 गंगाराम पुत्र रिडमलराम 39 गेरों पत्नी श्री  
गंगाराम 40 गेरों पत्नी मूलाराम 41 मूलाराम पुत्र जोराराम 42 दीपाराम  
पुत्र रिडमलराम 43 नोजी पत्नी दीपाराम जाति जाट समस्त निवासीयान  
कानोणी देहडु नगर (लूखों का तला) पोस्ट सरली, तहसील बाडमेर  
ग्रामीण 44 सरपंच, ग्राम पंचायत सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला  
बाडमेर 45 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 1017/2025

दिनांक - 13-03-2026

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा कानोणी देहडु नगर पटवार हल्का सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला  
बाडमेर के खसरा संख्या 1041/427 रकबा 7.2196 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए  
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई  
करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में  
खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992  
के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक  
हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,  
बाडमेर

क्रमांक :- रीडर/2026/5027-5030

दिनांक - 27/03/2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरली तहसील बाडमेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड  
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण करनाराम पुत्र ठकाराराम जाति सुधार निवासी सुधारों की ढाणी, राजीव नगर खडीन  
तहसील रामसर हाल रामनगर बाडेर तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण केसाराम पुत्र आसूराम जाति सुधार निवासी सुधारों की ढाणी, राजीव नगर खडीन  
तहसील रामसर हाल रामनगर बाडेर तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी  
बाडमेर